कार्यालय नगर पंचायत कॉठ, जनपद– मुरादाबाद

पत्रांकः– 470 ई–निविदा/न0प0कॉठ/2020 — दिनॉक– 29.1.2020

ई–निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है शा0 आ0 सं0 – 2432 /नौ –8– 2019 –02 केपीए (बजट) /2019 नगर विकास अनुभाग –8 लखनऊ दिनॉक 11 अक्टूबर , 2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में **कान्हा गौशाला एंव बेसहारा पशु आश्रय योजना** के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से **कान्हा गौशाला / पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य** हेतु नगर पंचायत कॉठ द्वारा ई–निविदा आमंत्रित की जाती है । ई– टेण्डर का विस्तृत विवरण एवं प्रपत्र बेबसाइट https://etender.up.nic.in से निर्धारित अवधि में डाउनलोड /प्राप्त कर अपलोड किया जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा । अन्य नियमो व शर्तो की सम्पूर्ण जानकारी बेबसाइट https://etender.up.nic.in तथा www.npkanth.in पर अपलोड कर दी गई है, से तथा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त की जा सकती है ।

A	ई– प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशन की तिथि	30.01.2020
B	वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा डाउनलोड की तिथि	30.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से
C	ई– प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	14.02. 2020 दोपहर 1:00 बजे तक
D	ई– प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि व समय	14.02. 2020 अपरान्ह 03:00 बजे से
E	ई – निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद

क्र. सं.	कार्य का विवरण	आगणन राशि	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	टेण्डर शुल्क	जी0 एस0 टी0 18 प्रतिशत	कार्य अवधि	भुगतान की स्थिति
1	कान्हा गौशाला /पशु शेल्टर होम का निर्माण कार्य ।	16484000	329680	33000	5940	2 माह	कान्हा गौशाला एंव बेसहारा पशु आश्रय योजना

नोट– टेण्डर खुलने की दिनॉक / तिथि को अवकाश होने की स्थिति मे अगले कार्य दिवस मे टेण्डर /निविदा डालने /खोलने की कार्यवाही पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर नियमानुसार की जायेगी । अन्य नियमो व शर्तो की सम्पूर्ण जानकारी www.npkanth.in एंव बेबसाइट https://etender.up.nic.in पर अपलोड कर दी गई है तथा किसी भी कार्यालय दिवस मे कार्यालय नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त की जा सकती है ।

(मौ0 महबूब)
लिपिक
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(सूर्य कान्त)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(प्रीति)
अध्यक्षा
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

प्रतिलिपि–

1– अपर ज़िलाधिकारी प्रशासन मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

2– उपजिलाधिकारी कॉठ , मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

3– कार्यालय नगर पंचायत कॉठ के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु ।

4– श्री मौ0 महबूब निर्माण लिपिक को वेबसाइट https://etender.up.nic.in तथा www.npkanth.in पर अपलोड कराने हेतु ।

5– सम्पादक दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, [illegible] को इस आशय के उक्त [redacted] सूचना को न्यूनतम दरो एंव आकार/ 12x7 c.m में प्रकाशित कर समाचार पत्र की 2 प्रतियॉ सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(मौ0 महबूब)
लिपिक
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(सूर्य कान्त)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(प्रीति)
अध्यक्षा
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

O/C

Scanned by CamScanner

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL ...

नियम व शर्ते :–

1– **कान्हा गौशाला / पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य** हेतु शासनादेश सं0 –3890/नौ–5–19–149सा/2019 नगर विकास अनुभाग –5 लखनऊ दिनॉक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार कार्यवाही / अनुसरण किया जायेगा ।

2– शासनादेश संख्या 3070 /78–2–2018–42 आई 0 टी0 /2017(22) दिनॉक 03 जनवरी 2018 के अनुपालन में निविदादाताओं द्वारा ई– निविदा प्रमाणी के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों की स्कैन प्रतियॉ के ट्रान्जेक्शन नं0 को ई– निविदा डालते समय अपलोड करना होगा , निविदा प्रकिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ई– निविदा में संलग्न किये गये अभिलेखों के मूल अभिलेख कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायेंगें । यदि निविदादाताओं द्वारा उक्त प्रक्रिया पूर्ण नही की जाती है तो इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उनका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी ।

3– निविदा प्रपत्र शुल्क (जी0 एस0 टी0 सहित) तथा निविदा की 2 प्रतिशत जमानत राशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ के नामें बंधक हो , को नगर पंचायत कॉठ के **प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक कॉठ , मुरादाबाद स्थित खाता सं0 86642115001500** IFSC CODE – PUNB0SUPGB5 में चालान के माध्यम या **नगद** रसीद प्राप्त कर या डी0 डी0 के माध्यम से या ऑनलाइन जमा करते हुयें जमा विवरण की स्कैन कॉपी भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

4–निविदादाता को ई–निविदा के साथ 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मय फोटो नौटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा , ,जिसका प्रारूप नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त कर सकते है । यह शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है तथा बिना इसके किसी ई–निविदा पर विचार नही किया जायेगा

5– सशर्त कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।

6– शासनादेश संख्या 1383/9–9–14 – 84 ज /14 दिनॉक 19 नबम्बर 2014 एंव शासनादेश संख्या 120/16/2194/नौ –8– 2016– 96 ज /2015 दिनॉक 2016 का अनुसरण अतिआवश्यक है एंव इससे सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र बिड में संलग्न किये जायेगें ।

7– इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा लापरवाही एंव तकनीकी त्रुटि के कारण टूट – फूट होती है तो निर्माण कार्य की पूर्णता की तिथि से पॉच वर्ष के अन्दर उसका रख –रखाव सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म द्वारा किया जायेगा । साथ ही शासनादेश संख्या 24 पी0आई0पी0(1) /नौ –5–2017–120 बजट /2013 दिनॉक 24 अगस्त 2017 का अनुपालन करने की जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म / ठेकेदार की होगी ।

8– निर्माण कार्य का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा ।

9– शासनादेश सं0 – 609/नौ –9–2007–249ज /06 दिनॉक 26.02.2007 के अनुसार राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा ।

10– ई– निविदादाता 1– हैसियत प्रमाण पत्र, 2– चरित्र प्रमाण पत्र ,3– पैन न0 ,4– जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रतियॉ ,5– ई0पी0एफ0 कोड की छायाप्रति एंव अन्य प्रपत्र एंव निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0 डी0 आर0 /डी0 डी0 की मूल्य प्रति , अनुभव प्रमाण पत्र आदि एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम , कार्य की क्रम सं0 , ठेकेदार का नाम / फर्म का नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एंव मोहर लगाकर निर्धारित तिथि, दिनांक – 14.02.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे तक नगर पंचायत कॉठ मुरादाबाद कार्यालय /उप– जिलाधिकारी कॉठ कार्यालय / अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) , मुरादाबाद के कार्यालय में रखे बाक्स में भी डाल सकते है तथा उपरोत अभिलेख ऑनलाइन विड डालते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा , निविदा के साथ 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मय फोटो नौटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा तथा निविदा / ई– निविदा के साथ अपलोड करना होगा , जिसका प्रारूप नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त कर सकते है । यह शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है तथा बिना इसके किसी ई – निविदा पर विचार नही किया जायेगा

11– निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0 – 622/23.12.2012–02 आडिट /09 टी0सी0 –2 दिनॉक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दरों पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारंटी की अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा । निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

12– अपठनीय / अस्पष्ट स्कैन कापी टेण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

13– प्रत्येक निविदादाता ई – निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भली – भॉति निरीक्षण अवश्य कर ले

14– शासनादेश सं0 3890/नौ–5–19–149 सा/2019 नगर विकास अनुभाग –5 लखनऊ दिनॉक 20 सितम्बर 2019 का पालन करना फर्म / ठेकेदार के लिये अनिवार्य होगा । पालन नही करने पर फर्म / ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही एंव ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी ।

15 – जी0 एस0 टी0 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी प्राव्धान लागू माने जायेगें तथा नियमानुसार आयकर व अन्य करों की कटौती की जायेगी ।

16– अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये , निविदा के किसी भी भाग अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा , इस संबंध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा । पर्यावरण संबंधी समस्त विद्यमान शासनादेशों का पालन करना कार्यदायी संस्था को अनिवार्य होगा

17– रू0 दस लाख से अधिक के कार्यो हेतु तकनीकी बिड मे निम्नलिखित प्रपत्र/ प्रमाण पत्र स्केन कर अपलोड करने होंगे।

(1) प्रत्येक कार्य के सम्मुख अंकित अर्नेस्ट मनी की एफ.डी.आर/डी0डी0./नकद धनराशि की रसीद जोकि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ, मुरादाबाद के नाम बन्धक होगी। निविदादाता को प्रत्येक निविदा के साथ निविदा क्रय की रसीद / धनराशि का चालान तथा 2 प्रतिशत एफ.डी.आर/डी0डी0./नकद धनराशि का रसीद की मूल प्रति को निविदा अपलोड करते समय स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा दिनॉक 14.02.2019 अपरान्ह 01: 00 बजे तक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कॉठ, मुरादाबाद के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ई–निविदा वॉक्स में भी डाल सकते है अथवा पंजीकृत डाक से उपलब्ध करा सकते है। निविदा स्वीकृति उपरान्त संबंधित ठेकेदार को ठेका निष्पादित/अनुबन्ध करते समय 8 प्रतिशत / नियमानुसार जमानत राशि जोकि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ के नामें बंधक हो, जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा 02 प्रतिशत जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी ।

(2) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(3) जी0एस0टिन नं. की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(4) श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति , ई0पी0एफ0 कोड की छायाप्रति ।

(5) ज़िलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र एंव हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

नोट– ई– निविदा /निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को ई – निविदा /निविदा खोली जायेगी। संशोधन से सम्बन्धित कोई भी सूचना बेबसाइट **https://etender.up.nic.in** तथा **www.npkanth.in** पर ही उपलब्ध की जायेगी। इस सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा । किसी भी समय निविदा / ई – निविदा / समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा जिसे किसी भी दशा में चुनौती नही दी जा सकेगी ।

(मो0 महबूब)	(सूर्य कान्त)	(प्रीति)
लिपिक	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पंचायत कॉठ	नगर पंचायत कॉठ	नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद

Scanned by CamScanner